



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59697

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 561 वर्ष 2026

किशोर X

..... पुनरीक्षणयाची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

पुनरीक्षणयाची(गणों) के अधिवक्ता : रविंद्र यादव, संदीप कुमार मौर्य

प्रतिपक्षी(गणों) के अधिवक्ता : अजय कुमार राय, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 84

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

पुनरीक्षणयाची के विद्वान अधिवक्ता श्री रविंद्र यादव, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और प्रतिपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार राय को सुना गया।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका, किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 101 के तहत दायर आपराधिक अपील संख्या 146/2025 (सीएनआर संख्या यूपीएजेड010108822025), (विधि विवादित किशोर X बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में आजमगढ़ के विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17.12.2025 को अपास्त करने के लिए दायर की गई है और मुकदमा अपराध संख्या 0284/2025 से उत्पन्न, बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 140(4), 127(2), 123, 108, 61(2), 70 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5जी/6 के अंतर्गत, किशोर न्याय बोर्ड, जिला आजमगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 19.11.2025, थाना रानी की सराय, जिला आजमगढ़ के तहत दायर की गई है, और उक्त मुकदमा अपराध में पुनरीक्षण याचिका को विस्तारित किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) यह स्वीकार किया जाता है कि कथित घटना की तिथि पर आवेदक लगभग 17 वर्ष, 7 महीने और 26 दिन का किशोर था; वह 16.09.2025 से जेल में है;

(ii) आवेदक को झूठा फंसाया गया है;

(iii) डीपीओ की रिपोर्ट में सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणियों के अलावा कोई विशिष्ट या ठोस आपत्ति नहीं उठाई गई है;

(iv) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है;

(v) एफआईआर के विवरण और बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज पीड़ित के बयानों में कुछ विरोधाभास है;

(vi) मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है;

(vii) याचिकाकर्ता को अनुचित रूप से लंबे समय तक बाल अवलोकन गृह में रखा गया है।

(viii) किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 के तहत परिकल्पित कोई भी आधार आवेदक को जमानत देने से इनकार करने के लिए उपलब्ध नहीं है।

(ix) इसलिए, आक्षेपित आदेशों को त्रुटिपूर्ण और कानून के विपरीत मानते हुए चुनौती दी गई है।

प्रतिपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए .जी.ए. ने इस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका का पुरजोर विरोध किया। यह निवेदन किया गया कि वर्णित घटना सत्य है और यह कहना गलत है कि आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप झूठे और/या प्रेरित हैं। साथ ही, जमानत अस्वीकृति आदेशों में दर्ज निष्कर्षों का हवाला देते हुए यह निवेदन किया गया है कि इस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया जाए।

यह निर्विवाद है कि आवेदक नाबालिग है और अधिनियम के प्रावधानों का लाभ पाने का हकदार है। अधिनियम की धारा 12 के तहत, किसी नाबालिग की जमानत याचिका को अस्वीकार किया जा सकता है, 'यदि यह मानने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि नाबालिग की रिहाई से उसका किसी ज्ञात अपराधी के साथ संपर्क स्थापित होने की संभावना है या उसे नैतिक ,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल दिया जाएगा या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या अपील न्यायालय और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेशों में दर्ज राय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अधिनियम की धारा 12 में तीन ऐसी परिस्थितियाँ बताई गई हैं जिनमें किशोर अपराधी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। ये परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं:

- (i) यदि उसकी रिहाई से उसके किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क में आने की संभावना हो, या
- (ii) उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल दिया जाए, या
- (iii) उसकी रिहाई से न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएँ।

इस प्रकार, यह लगभग निर्विवाद है कि आवेदक घटना की तिथि पर किशोर था ; डीएसपी के अवलोकन के आलोक में , उसमें आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक मनोविज्ञान के लक्षण नहीं दिखाई देते; उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है ; और वह अनुचित रूप से लंबे समय से हिरासत में है , क्योंकि अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा , अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित कोई भी ऐसा कारक या परिस्थिति मौजूद नहीं है जो इस स्तर पर आवेदक को जमानत देने से अयोग्य ठहराए। आवेदक के पिता अधिनियम की धारा 12 में व्यक्त वैधानिक चिंताओं को दूर करने का वचन देते हैं , जो आवेदक की रिहाई पर उसकी सुरक्षा और कल्याण से संबंधित हैं।

उपरोक्त के मददेनजर, ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष जमानत देने के उद्देश्य से कानून में स्थापित सिद्धांत के विपरीत हैं और त्रुटिपूर्ण हैं तथा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विरुद्ध हैं। परिणामस्वरूप , वे आदेश मान्य नहीं हो सकते। दिनांकित आक्षेपित आदेश को एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

उपरोक्त टिप्पणियों के मददेनजर, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। उपरोक्त मामले में आरोपी किशोर X को उसके प्राकृतिक अभिभावक श्री महात्मा यादव (पिता) के माध्यम से 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानत दार प्रस्तुत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) याचिकाकर्ता साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा;
 - (ii) याचिकाकर्ता अपने अभिभावक के माध्यम से यह वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है;
 - (iii) याचिकाकर्ता अपने अभिभावक के माध्यम से प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने वकील के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण बताए बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए/269 बी.एन.एस.एस. के तहत कार्यवाही कर सकती है।
- निबंधक (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर संबंधित बाल अवलोकन गृह को आदेश की सूचना दें।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

23 मार्च, 2026

बृजेश